

कोयला तथा खान मंत्रालय

मांग संख्या 9

खान विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		149.87	267.46	417.33	123.87	187.28	311.15	198.67	363.32	561.99
पूंजी		31.71	119.00	150.71	111.16	145.00	256.16	28.83	...	28.83
जोड़		181.58	386.46	568.04	235.03	332.28	567.31	227.50	363.32	590.82
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.50	6.50	...	6.25	6.25	...	7.35	7.35
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	108.98	162.14	271.12	94.53	160.91	255.44	158.64	166.64	325.28
	4853	0.01	...	0.01
	जोड़	108.98	162.14	271.12	94.53	160.91	255.44	158.65	166.64	325.29
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	12.00	...	12.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	16.98	12.70	29.68	17.84	12.63	30.47	16.48	13.12	29.60
	4853	0.30	...	0.30	1.16	...	1.16	0.06	...	0.06
	जोड़	17.28	12.70	29.98	19.00	12.63	31.63	16.54	13.12	29.66
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	83.62	83.62	...	5.00	5.00	...	83.62	83.62
6. हिन्दुस्तान कापर लि. को अनुदान	2853	90.00	90.00
7. अन्य कार्यक्रम	2853	5.50	2.50	8.00	4.50	2.49	6.99	5.00	2.59	7.59
जोड़-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग		143.76	260.96	404.72	125.03	181.03	306.06	188.19	355.97	544.16
8. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार										
8.01 खनन अन्वेषण निगम लिमिटेड	6853	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
8.02 हिन्दुस्तान कापर लि.	6853	...	114.00	114.00	...	140.00	140.00
	Total	...	119.00	119.00	...	145.00	145.00
9. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	10.00	...	10.00	95.00	...	95.00	28.00	...	28.00
	6853	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
	जोड़	25.00	...	25.00	110.00	...	110.00	28.00	...	28.00
10. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान										
10.01 भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण	2552	6.41	...	6.41	10.55	...	10.55
10.02 भारतीय खान ब्यूरो	4552	6.41	...	6.41	0.76	...	0.76
	जोड़	12.82	...	12.82	11.31	...	11.31
कुल जोड़		181.58	386.46	568.04	235.03	332.28	567.31	227.50	363.32	590.82
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
9.01 भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि.	12853	...	50.00	50.00
9.02 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	12853	25.00	...	25.00	110.00	...	110.00	25.00	...	25.00
9.03 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	12853	...	1081.54	1081.54	...	1100.00	1100.00	...	900.00	900.00
9.04 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	12853	...	130.00	130.00	...	100.00	100.00	...	115.00	115.00
9.05 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	12853	3.00	...	3.00
9.06 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50
जोड़		25.00	1265.04	1290.04	110.00	1203.50	1313.50	28.00	1018.50	1046.50
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12853	176.76	1265.04	1441.80	242.45	1203.50	1445.95	223.19	1018.50	1241.69
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	12.82	...	12.82	11.31	...	11.31
जोड़		189.58	1265.04	1454.62	242.45	1203.50	1445.95	234.50	1018.50	1253.00
* शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य प्रावधान सहित।										
मांग संख्या 82	12853	1.50	...	1.50	0.92	...	0.92	1.30	...	1.30
मांग संख्या 83	12853	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	5.70	...	5.70
जोड़		8.00	...	8.00	7.42	...	7.42	7.00	...	7.00

1. **सचिवालय:** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण:** इसके अन्तर्गत भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता भी शामिल है।

3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान:** संवर्धनात्मक आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।

4. **भारतीय खान ब्यूरो :** इसके अन्तर्गत प्रावधान में स्थानों के अध्ययन और निरीक्षण तथा अनुसंधान के लिए भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकताओं और (i) निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजों के उपकारक और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ाने के दृष्टिगत विशेष खनन समस्याओं के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड:** कम्पनी में जनशक्ति को अलग करने के लिए भुगतान का प्रावधान है।

6. **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड :** कम्पनी का प्रचालन जारी रखने के लिए प्रावधान किया गया है।

7. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं और राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार आदि के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी और वैज्ञानिक निकायों को सहायता-अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

8. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** वर्ष 2002-2003 के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

9. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चालू स्कीमों, प्रतिस्थापन और नवीकरण तथा अनुसंधान और विकास पर पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए इक्विटी की व्यवस्था करता है। इन उद्यमों को बजट सहायता और आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधन के इक्विटी संबंधी आंकड़े व्यय बजट, खण्ड - I में दिए गए हैं।

9.02 **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एससीएल) :** हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का परिव्यय जारी स्कीमों, प्रतिस्थापना और नवीकरण तथा अनुसंधान व विकास पर खर्च किया जाना है।

9.03 **राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) :** राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लि. का परिव्यय मुख्यतः बाक्साइड खान, अल्यूमिनियम रिफाइनरी, प्रतिस्थापन एवं नवीकरण आदि जैसी विद्यमान सुविधाओं के लिये है।

9.04 **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच.जेड.एल)** परिव्यय, मुख्यतः प्रतिस्थापन और नवीकरण, अनुसंधान और विकास के लिए है।

9.05 **खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल)** परिव्यय बजट से वित्तपोषित है क्योंकि निगम नकद क्षतियों के कारण किन्ही आन्तरिक संसाधनों का सृजन नहीं कर रही है।

9.06 **अन्य निकाय/संस्थान:** परिव्यय वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए है।

10. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों व सिक्किम के लाभ के लिए विकास की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है।